

सूचना

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
झाँसी / चित्रकूट मण्डल।
2. जिलाधिकारी,
झाँसी, महोदय, जलौन, जौदा, ललितपुर, चित्रकूट, हरीपुर।

राजस्व अनुभाग-11

संख्या-32 दिनांक 13 जनवरी, 2016

विषय:- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की विषम स्थिति के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जनपदों विशेषकर बुन्देलखण्ड में सूखे की विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। शासन द्वारा सूखे की समस्या के निराकरण हेतु मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2015 को सम्बन्धित विभागों/मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण के साथ बैठक की गयी थी तत्पश्चात सभी सम्बन्धित विभागों/ जिलाधिकारीगण को मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

1. बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवसों को 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस किये जाने के निर्देश दिये गये।
3. मनरेगा के अंतर्गत बड़े तालाबों की खुदाई वृहद स्तर पर कराये जाने के निर्देश दिये गये एवं यह भी निर्देश दिये गये कि मनरेगा के अंतर्गत धनराशि समय से जनपदों को उपलब्ध करायी जाय। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार से भी धनराशि उपलब्ध करायी जाय।
4. झाँसी मण्डल में 01 जनवरी, 2016 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो रहा है। अतः झाँसी मण्डल में अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय। चित्रकूटधाम मण्डल में भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न एफ0एस0ए0 रेट से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।
5. पशुओं को चारा उपलब्ध कराये जाने के लिए काम्पैक्ट फुड ब्लॉक्स तैयार रखे जाने के निर्देश दिये गये एवं आवश्यकता होने पर किसानों को तत्काल मुहैया कराया जाय।
6. पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए खराब हैंड पम्पों को रिबोर/मरम्मत किये जाने एवं नये हैंड पम्प लगवाये जाने के निर्देश दिये गये।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बकरी पालन बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है अतः बकरी पालन कार्यक्रम में गाँव लायी जाय।

8. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बकरी पालन बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है अतः बकरी पालन कार्यक्रम में गाँव लायी जाय।

9. खराब ट्रांसफार्मर को अति शीघ्र बदला जाय एवं इसके लिए ट्रांसफार्मर का बफर स्टॉक बनाया जाय। विद्युत दोषों का तत्काल निवारण किया जाय। लो-बोल्टेज की समस्या का निराकरण किया जाय।

10. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की भूखमरी से मृत्यु न होने पावे। इसके लिए समस्त प्रकार की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। भूखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

11. सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिकारी संयुक्त रूप से 03 दिन दोनों जिलों के जिलों का भ्रमण कर जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर बताया गयी सिंचाई एवं बिजली की समस्या के निराकरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

12. बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों को ₹0 2-2 करोड़ की धनराशि राहत मद में दे दी जाय।

13. हैण्ड पम्पों के रिबोर एवं मरम्मत की कार्यवाही युद्ध स्तर पर की जाय ताकि पीने की पानी की समस्या हल हो जाय।

2. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को सूखे की गम्भीर समस्या से निपटने हेतु राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न मदों यथा- भोजन, चारा एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि अनुदान हेतु पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की समस्या से निपटने हेतु खाद्यान्न आपूर्ति, बिजली, पेय जल की व्यवस्था, मनरेगा एवं पशुओं हेतु चारा आदि की उपलब्धता की स्थिति की सूचना शासन को प्रतिदिन सायं 05.00 बजे तक राहत आयुक्त कार्यालय के फ़ैक्स नम्बर-0522-2238084, 2236305 एवं ईमेल-rahata@nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव